



बिहार सरकार  
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग  
पशुपालन निदेशालय  
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



पत्रांक- 12नि०/प०ग०(लो०सू०विविध) 03/2022

दिनांक- ...../2025

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक (प०स्वा०)  
पशुपालन निदेशालय।

सेवा में,

निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना।  
परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना।  
सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार।  
सभी विशेष उप निदेशक पशु विकास, बिहार।  
सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार  
गोशाला विकास पदाधिकारी, पटना।  
सहायक निदेशक, पशुपालन, (सूचना एवं प्रसार), बिहार, पटना।  
परियोजना पदाधिकारी, फ्रोजेन सीमेन बैंक, मुजफ्फरपुर/बांका/पूर्णियाँ।  
बिहार पशु चिकित्सा परिषद, पटना।  
मुख्य अनुदेशक, पशुपालन विद्यालय, डुमरांव, (बक्सर)।  
प्रबंधक, हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, डुमरांव।

विषय:-

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 (1) के तहत बिहार सूचना आयोग में वार्षिक प्रतिवेदन हेतु धारा-25 (1) के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 तथा 2024-25 का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :-

बिहार सूचना आयोग का पत्र संख्या-62, दिनांक-11.04.2025 तथा 76 एवं 78 दिनांक-16.04.2025,

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि विहित प्रपत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 तथा 2024-25 का वांछित प्रतिवेदन (सी०डी० सहित) संलग्न विहित प्रपत्र में तैयार कर 07 (सात) दिनों के अन्दर पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा इस संदर्भ में अपने अधीनस्थों को भी निदेशित करें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त।

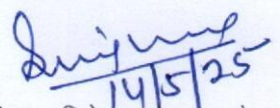
विश्वासभाजन

ह०/-

संयुक्त निदेशक (प०स्वा०)

ज्ञापांक- 12नि०/प०ग०(लो०सू०विविध) 03/2022 ..... 18/17 (18/17) ..... पटना-15 दिनांक- 14/05/25

प्रतिलिपि- विभागीय आई०टी० मैनेजर को उक्त सभी को ई०मेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
14/05/25  
संयुक्त निदेशक (प०स्वा०)



## बिहार सूचना आयोग

सूचना भवन, चतुर्थ तल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बिहार, पटना-800015।

दूरभाष-2215713, 2235059, फ़ैक्स-2235468

74

संख्या 1/वि०-05/2025..... 35 बि०सू०आ०

पटना, दिनांक 15/04/2025

मुख्य सचिव, बिहार।

महानिदेश राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, राजभवन, पटना।

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव-सभी विभाग।

महानिदेशक, पटना उच्च न्यायालय, पटना।

सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय।

सचिव, बिहार विधान परिषद सचिवालय।

पुलिस महानिदेशक, बिहार।

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।

सभी जिला पदाधिकारी।

कुल सचिव, सभी विश्वविद्यालय।

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 (1) एवं धारा-25 (2) के तहत बिहार सूचना आयोग में वित्तीय वर्ष-2023-24 का वार्षिक प्रतिवेदन हेतु धारा-25 (1) एवं धारा-25 (2) के अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भ-आयोग कार्यालय के पत्रांक-1146, दिनांक-19.02.2025।

165

3.05.25

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के संबंध में कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 (1) के तहत बिहार सूचना आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में एक वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष उपस्थापन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना एक वैधानिक अनिवार्यता है। अधिनियम की धारा-25 (2) के तहत प्रत्येक विभाग का यह वैधानिक कर्तव्य है कि उनके अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकारों के संबंध में अधिनियम के प्रावधानानुसार सूचनाओं को संकलित कर उसे बिहार सूचना आयोग को उपलब्ध कराए ताकि अधिनियम के प्रावधानों द्वारा वांछित अपेक्षाओं को पूर्ति हो सके। उक्त परिप्रेक्ष्य में संदर्भित पत्रों के माध्यम से पूर्व में अनुरोध किया गया था कि अपने-अपने विभागों के अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकारों से एवं सभी जिलों के अपने अधीनस्थ सभी कार्यालय से वर्ष 2023-24 से संबंधित वांछित सूचनाओं को संकलित एवं समेकित कर उसे आयोग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाए। अप्राप्त रहने की स्थिति में इस तथ्य को आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन में समाहित करते हुए आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन के प्रेषण के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। उक्त के उपरान्त अभी तक 36 (छत्तीस) विभाग से दोनों स्तर, 36 (छत्तीस) जिलों, 12 (बारह) विश्वविद्यालयों, 06 (छः) प्रमंडलों एवं 04 (चार) सक्षम प्राधिकार का प्रतिवेदन अप्राप्त है। जो अत्यंत खेदजनक है।

2. अतः अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित वांछित सूचनाओं को संकलित एवं समेकित कर उसे आयोग कार्यालय को 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

*Sandeep*  
(संदीप अग्निहोत्री) 16.04.25

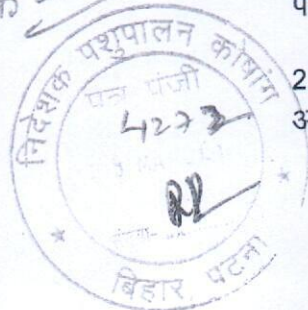
विधि पदाधिकारी-सह-प्रभारी सचिव

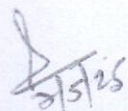
23

बिहार सरकार  
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

ज्ञापांक-6Aलो०सू०(7)35 / 2025-2032 / पटना-15, दिनांक-07/05/2025  
प्रतिलिपि:- निदेशक, पशुपालन/मत्स्य/गव्य विकास निदेशालय, बिहार,  
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि वांछित सूचना राज्य सूचना आयोग को भेजते हुए  
अद्योहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराने का कृपा की जाय।



  
(संतोष कुमार)  
सरकार के अवर सचिव



82

## बिहार सूचना आयोग

सूचना भवन, चतुर्थ तल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बिहार, पटना-800015।

दूरभाष-2215713, 2235059, फैक्स-2235466

पटना, दिनांक 16/04/2025

22/04/2025 76 बि0सू0आ0

सेवा में

मुख्य सचिव, बिहार।

मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान सचिव, राजभवन, पटना।

सभी अन्य मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव-सभी विभाग।

न्यायनिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना।

सचिव, बिहार विधान परिषद सचिवालय।

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।

सभी जिला पदाधिकारी।

कुल सचिव, सभी विश्वविद्यालय।

अनुपदा-68  
28/04/2521.04.2025  
580.

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 (1) एवं धारा-25 (2) के तहत बिहार सूचना आयोग में वर्ष-2022-23 का वार्षिक प्रतिवेदन हेतु धारा-25 (1) एवं धारा-25 (2) के अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग-आयोग कार्यालय के पत्रांक-1146, दिनांक-19.02.2025।

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्रों के संबंध में कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 (1) के तहत बिहार सूचना आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में एक वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष उपस्थापन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जाता एक वैधानिक अनिवार्यता है। अधिनियम की धारा-25 (2) के तहत प्रत्येक विभाग का यह वैधानिक कर्तव्य है कि उनके अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकारों के संबंध में अधिनियम के प्रावधानानुसार सूचनाओं को संकलित कर उसे बिहार सूचना आयोग को उपलब्ध कराए ताकि अधिनियम के प्रावधानों द्वारा वांछित अपेक्षाओं को पूर्ति हो सके। उक्त परिप्रेक्ष्य में संदर्भित पत्रों के माध्यम से पूर्व में अनुरोध किया गया था कि अपने-अपने विभागों के अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकारों से एवं सभी जिलों के अपने अधीनस्थ सभी कार्यालय से वर्ष 2022-23 से संबंधित वांछित सूचनाओं को संकलित एवं समेकित कर उसे आयोग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाए। अग्रस्त रहने की स्थिति में इस तथ्य को आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन में समाहित करते हुए आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन के प्रेषण के संबंध में अग्रतः कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। उक्त के उपरान्त अभी तक 34 (चौतीस) विभाग से दोनों स्तर, 35 (पैंतीस) जिलों, 11 (इग्यारह) विश्वविद्यालयों, 06 (छः) प्रमंडलों एवं 03 (तीन) सक्षम प्राधिकार का प्रतिवेदन अप्राप्त है। जो अत्यंत खेदजनक है।

2. अतः अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित वांछित सूचनाओं को संकलित एवं समेकित कर उसे आयोग कार्यालय को 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

Sandeep

(संदीप अग्निहोत्री) 16.04.25

विधि पदाधिकारी-सह-प्रभारी सचिव

437  
28/04/2025

71

बिहार सरकार  
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

ज्ञापांक-6Aलो०सू०(7)35/2025-2023/पटना-15, दिनांक-07/05/2025

प्रतिलिपि:- निदेशक, पशुपालन/मत्स्य/गव्य विकास निदेशालय, बिहार,  
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि वांछित सूचना राज्य सूचना आयोग को भेजते हुए  
अद्योहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराने का कृपा की जाय।



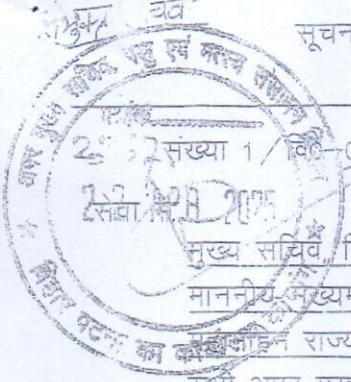
07/05/25  
(संतोष कुमार)  
सरकार के अवर सचिव



## बिहार सूचना आयोग

सूचना भवन, चतुर्थ तल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बिहार, पटना-800015।  
दूरभाष-2215713, 2235059, फैक्स-2235466

28



संख्या 1/वि-07/2025...62...बि0सू0आ0

पटना, दिनांक 11/04/2025

मुख्य सचिव, बिहार।

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना।

मुख्य निदेशक राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, राजभवन, पटना।

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव-सभी विभाग।

महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना।

सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय।

सचिव, बिहार विधान परिषद सचिवालय।

पुलिस महानिदेशक, बिहार।

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।

सभी जिला पदाधिकारी।

कुल सचिव, सभी विश्वविद्यालय।

15/12/2024  
Rahul  
28/04/2025

21/04/2025  
579

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 (1) एवं धारा-25 (2) के तहत बिहार सूचना आयोग में वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक प्रतिवेदन हेतु धारा-25 (1) एवं धारा-25 (2) के अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में।

नहाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 (1) के तहत बिहार सूचना आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में एक वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष उपस्थापन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना एक वैधानिक अनिवार्यता है। अधिनियम की धारा-25 (2) के तहत प्रत्येक विभाग का यह वैधानिक कर्तव्य है कि उनके अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकारों के संबंध में अधिनियम के प्रावधानानुसार सूचनाओं को संकलित कर उसे बिहार सूचना आयोग को उपलब्ध कराए ताकि अधिनियम के प्रावधानों द्वारा वांछित अपेक्षाओं को पूर्ति हो सकें।

2. उल्लिखित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि अपने-अपने विभागों के अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकारों से वित्तीय वर्ष 2024-25 (संलग्न विहित प्रपत्र में प्राप्त कर) से संबंधित वांछित सूचनाओं को संकलित एवं समेकित कर उसे आयोग को निश्चित रूप से पत्र प्राप्त होने के उपरान्त एक माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में संबंधित लोक प्राधिकारों एवं उनके प्रधान पदाधिकारी का नाम आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा।

3. इस क्रम में यह भी कहना है कि प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा अपने जिले के सभी अधीनस्थ लोक प्राधिकारों पंचायती राज संस्थानों सहित, के संबंध में तथा सभी प्रमंडलायुक्त द्वारा अपने प्रमंडलाधीन जिलों से संबंधित प्रतिवेदनों को संकलित एवं समेकित कर उसे आयोग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक :- प्रपत्र-1 (लोक सूचना पदाधिकारी के लिए), प्रपत्र-2 (प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के लिए)

विश्वासभाजन

Sandeep

(संदीप अग्निहोत्री) 11.04.25

विधि पदाधिकारी-सह-प्रभारी सचिव

28/04/2025

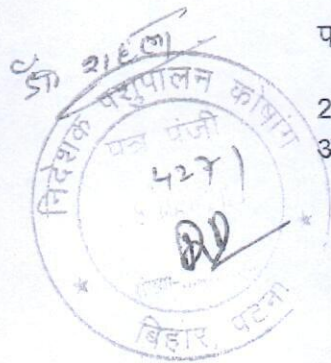
438  
28/04/2025

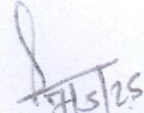
बिहार सरकार  
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

ज्ञापांक-6Aलो०सू०(7)35/2025-2631/पटना-15, दिनांक-07/05/2025

प्रतिलिपि:- निदेशक, पशुपालन/मत्स्य/गव्य विकास निदेशालय, बिहार,  
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि वांछित सूचना राज्य सूचना आयोग को भेजते हुए  
अद्योहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराने का कृपा की जाय।



  
(संतोष कुमार)  
सरकार के अवर सचिव

लोक सूचना पदाधिकारी से संबंधित प्रतिवेदन  
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के तहत राज्य सूचना आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन प्रपत्र-1

| संख्या | लोक प्राधिकार का नाम                        | लोक सूचना पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम | वित्तीय वर्ष 2024-25 में लो०सू०पदा० के पास प्राप्त आवेदनों की संख्या | निलंबित आवेदनों की संख्या | लंबित आवेदनों की संख्या | कुल प्राप्त शुल्क | कितने मामलों में सूचना नहीं दी गयी उसकी संख्या (धारा 8 एवं 9 के तहत) | कितने मामलों में सूचना आयोग द्वारा लो०सू०पदा० पर आर्थिक दबाव तथा अनुशासनिक कार्रवाई की अनुश्रवा की गयी उनकी संख्या | आयोग द्वारा निर्धारित आर्थिक दबाव की कुल राशि | वसुली की गयी कुल राशि |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 1      | मुख्यालय स्तर पर लोक सूचना पदाधिकारी        |                                      |                                                                      |                           |                         |                   |                                                                      |                                                                                                                    |                                               |                       |
| 2      | क्षेत्रीय कार्यालयों के लोक सूचना पदाधिकारी |                                      |                                                                      |                           |                         |                   |                                                                      |                                                                                                                    |                                               |                       |
| 3      | निदेशालय                                    |                                      |                                                                      |                           |                         |                   |                                                                      |                                                                                                                    |                                               |                       |
| 4      | निगम                                        |                                      |                                                                      |                           |                         |                   |                                                                      |                                                                                                                    |                                               |                       |
| 5      | बोर्ड                                       |                                      |                                                                      |                           |                         |                   |                                                                      |                                                                                                                    |                                               |                       |
| 6      | प्राधिकार                                   |                                      |                                                                      |                           |                         |                   |                                                                      |                                                                                                                    |                                               |                       |
| 7      | निकाय                                       |                                      |                                                                      |                           |                         |                   |                                                                      |                                                                                                                    |                                               |                       |
| 8      | अन्य                                        |                                      |                                                                      |                           |                         |                   |                                                                      |                                                                                                                    |                                               |                       |
| 9      | कुल योग                                     |                                      |                                                                      |                           |                         |                   |                                                                      |                                                                                                                    |                                               |                       |

टिप्पणी- (क) अपना प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत करवाकर सी० डी०, फ्लोपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-25 के तहत नियम 3 (ख) में निहित प्रावधान के तहत जो मामले हो उनके संबंध में प्रतिवेदन।

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के नियम 3 (घ) एवं (ख) में निहित प्रावधानों के तहत विभाग द्वारा किये गये प्रसार के प्रसार में प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत करवाकर सी० डी०, फ्लोपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

(घ) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-25 के तहत नियम 3 (घ) में निहित प्रावधानों के तहत किसी अधिकारी के विरुद्ध किए गए अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रसार में, यदि कोई हो तो प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत करवाकर सी० डी० फ्लोपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

26

## प्रथम अपीलीय प्राधिकार से संबंधित प्रतिवेदन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के तहत राज्य सूचना आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन प्रपत्र-2

| क्रम संख्या | लोक प्राधिकार का नाम                           | प्रथम अपीलीय पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम | वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रथम अपीलीय पद 10 के पास प्राप्त आवेदनों की संख्या | निस्तासित आवेदनों की संख्या | लम्बित आवेदनों की संख्या | कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या | कितने मामले में सूचना नहीं दी गयी उसकी संख्या (धारा 8 एवं 9 के तहत) | अभ्युक्ति |
|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1           | मुख्यालय स्तर पर प्रथम अपीलीय पदाधिकारी        |                                         |                                                                              |                             |                          |                               |                                                                     |           |
| 2           | क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रथम अपीलीय पदाधिकारी |                                         |                                                                              |                             |                          |                               |                                                                     |           |
| 3           | निदेशालय                                       |                                         |                                                                              |                             |                          |                               |                                                                     |           |
| 4           | निगम                                           |                                         |                                                                              |                             |                          |                               |                                                                     |           |
| 5           | बोर्ड                                          |                                         |                                                                              |                             |                          |                               |                                                                     |           |
| 6           | प्राधिकार                                      |                                         |                                                                              |                             |                          |                               |                                                                     |           |
| 7           | निकाय                                          |                                         |                                                                              |                             |                          |                               |                                                                     |           |
| 8           | अन्य                                           |                                         |                                                                              |                             |                          |                               |                                                                     |           |
| 9           | कुल योग                                        |                                         |                                                                              |                             |                          |                               |                                                                     |           |

टिप्पणी:- (क) अगना प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत करार सी० डी०, पलौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-25 के तहत नियम 3 (ख) में निहित प्रावधान के तहत जो मामले हों उनके संख्या में प्रतिवेदन।

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के नियम 3 (ब) एवं (ख) में विहित प्रावधानों के तहत विभाग द्वारा किये गये प्रयास के प्रसंग में प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत करार सी० डी०, पलौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

(घ) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-25 के तहत नियम 3 (ब) में विहित प्रावधानों के तहत किसी अधिकारी के विरुद्ध किए गए अनुशासनात्मक कार्यवाई के प्रसंग में, यदि कोई हो तो प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत करार सी० डी० पलौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।